निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श0)

(सं0 पटना 438) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 अगस्त 2020

सं० वि०स०वि०–22/2020–1012/वि०स०।—''बिहार काराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 03 अगस्त, 2020 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव।

[वि०स०वि०–7/2020]

बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2020

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम–27) का संशोधन करने हेतु विधेयक।

भारत–गणराज्य के एकहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। –

(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
(2) इसका प्रसार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–14 में संशोधन।– बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः–

''14. अधिनियम के तहत देय कर की गणना –

(क) मालों की विक्रय कीमत पर ऐसी दर से जो पचास प्रतिशत से अनधिक हो ; या
(ख) मालों के वजन या मात्रा पर ऐसी दर से जो पचास रूपये प्रति लीटर से अनधिक हो ; या
(ग) खंड (क) या (ख) की सम्मिश्रण,

के आधार पर की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से ऐसे निर्बंधनों और शर्त्तों के अधीन जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, अधिसूचित करे।''

3. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

(i) बिहार कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या–01, 2020) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

वित्तीय संलेख

बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005–06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाये जाने के उद्देश्य से इसमें समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे है।

दिनांक 01.07.2017 से राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम लागू किया जा चुका है। जिससे अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राज्य के अधिकांश अधिनियम समाहित हो गये हैं, किन्तु पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल तथा मानवीय उपयोग हेतु प्रयोग में लायी जानेवाली शराब को तत्काल GST प्रणाली से बाहर रखा गया है।

सम्प्रति बिहार राज्य में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल के विक्रय मूल्य के आधार पर करारोपण किये जाने के प्रावधान है, जबकि देश के विभिन्न राज्यो में इनकी विक्रय मूल्य अथवा प्रति लीटर देय एक निश्चित राशि के आधार पर करारोपण किये जाने के प्रावधान है। उक्त के आलोक में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग का सहमति प्राप्त है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार मूल्यवर्दित कर अधिनियम, 2005 वित्तीय वर्ष 2005–06 से लागू है। इस अधिनियम के प्रशासन के क्रम में अनुभूत कठिनाईयों के निराकरण तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाये जाने के उद्देश्य से इसमें समय–समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं।

दिनांक 01.07.2017 से राज्य में माल और सेवा कर अधिनियम लागू किया जा चुका है। जिसमें अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राज्य के अधिकांश अधिनियम समाहित हो गये है किन्तु पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईंधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल तथा मानवीय उपभोग हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली शराब को तत्काल GST प्रणाली से बाहर रखा गया है।

सम्प्रति बिहार राज्य में पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईंधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल के विक्रय मूल्य के आधार पर करारोपण किये जाने के प्रावधान है, जबकि देश के विभिन्न राज्यों में इनके विक्रय मूल्य अथवा प्रति लीटर देय एक निश्चित राशि के आधार पर करारोपण किये जाने के प्रावधान हैं। उक्त के आलोक में बिहार मूल्यवर्दित कर अधिनियम, 2005 में आवश्यक संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है। अधिनियम में संशोधन किये जाने से राजस्व संग्रहण में स्थायित्व प्राप्त होगा।

यही इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(सुशील कुमार मोदी)
भार–साधक सदस्य ।

भूषण कुमार झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

पटना
दिनांक–03.08.2020

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 438-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in